

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र./वि.से./अध्या.प्रको./ए/20/वे.नि.अ./2019/ 171  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 01.05.2019

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत मध्यप्रदेश।

विषय:- शिक्षाकर्मी वर्ग-1, 2 एवं 3/संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1, 2 एवं 3 से अध्यापक संवर्ग के संविलियन/नियुक्ति उपरान्त देय वेतनमान में वेतन निर्धारण का अनुमोदन के संबंध में।

:: 00 ::

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश पंचायत/नगरीय शिक्षाकर्मी (भरती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1997 जो दिनांक 01.01.1998 से प्रभावशील हुये थे। इस नियम के अन्तर्गत स्थानीय निकायों में शिक्षाकर्मी वर्ग-1, 2 एवं 3 के पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निश्चित मानदेय पर नियुक्ति करने का प्रावधान था तथा 03 वर्ष की सेवा सफलता पूर्वक पूर्ण करने के बाद शिक्षाकर्मी वर्ग-1, 2 एवं 3 को देय न्यूनतम वेतनमान क्रमशः रुपये (800-20-1200), रुपये (1000-30-1600) एवं रुपये (1200-40-2000) दिये जाने के निर्देश हैं।

2/ मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्र./एफ 1-4/07/बीस-1, दिनांक 28.06.2007 के द्वारा दिनांक 01.04.2007 से अध्यापक संवर्ग का गठन तथा वेतनमान (क्रमशः सहायक अध्यापक रुपये 3000-100-5000, अध्यापक रुपये 4000-125-6500 एवं वरिष्ठ अध्यापक रुपये 5000-175-8500) प्रभावशील हुये थे। इस आदेश की कण्डिका-2.4 (ख) अध्यापक संवर्ग में वेतन निर्धारण करते समय शिक्षाकर्मी संवर्ग में पूर्ण किये गये प्रत्येक 03 वर्ष के पूर्ण कालखण्ड के लिए अध्यापक संवर्ग में एक वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने के निर्देश थे। इस प्रकार शिक्षाकर्मी वर्ग-1 एवं 2 को दो-दो वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त होगा तथा शिक्षाकर्मी वर्ग-3 को नये वेतनमान में पुराने वेतनमान की तुलना में कुल प्राप्त परिलक्षियाँ (वेतनवृद्धि एवं उस पर देय 20 प्रतिशत महगाई भत्ते सहित) का अन्तर रुपये 750 से कम होने के कारण दो वेतनवृद्धि के अतिरिक्त एक वेतनवृद्धि का अधिभार देकर वेतन निर्धारण किये जाने के निर्देश है। इस प्रकार शिक्षाकर्मी वर्ग-3 को 03 वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त होगा। इसी आधार पर शिक्षाकर्मी संवर्ग को दिनांक 01.04.2007 से अध्यापक संवर्ग में देय वेतनमान में वेतन निर्धारण के प्रावधान है। ऐसे शिक्षाकर्मियों को अध्यापक संवर्ग में संविलियन उपरान्त आगामी वेतनवृद्धि 01.04.2008 (मध्यप्रदेश पंचायत/नगरीय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 के नियम-5 (1)(चार) के अनुसार) से देय है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षाकर्मी संवर्ग को अध्यापक संवर्ग में देय वेतनमान दिनांक 01.04.2007 से ही प्रभावशील किया गया है।

3/ मध्यप्रदेश पंचायत/नगरीय मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2001 जो दिनांक 20.03.2001 से प्रभावशील हुये थे। इस नियम के अन्तर्गत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1, 2 एवं 3 के पदों पर नियुक्ति के प्रावधान किये गये थे। वर्ष 2001 से नियुक्त संविदा शाला शिक्षक के पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर देय संविदा राशि (नियम-7 सेवा में

नियुक्ति तथा अनुसूची-1 अनुसार) पर 15 प्रतिशत अधिक संविदा राशि प्राप्त करने का हकदार था। ऐसे नियुक्त संविदा शाला शिक्षक छानबीन समिति द्वारा नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर दिनांक 01.04.2007 से अध्यापक संवर्ग के न्यूनतम वेतनमान में नियुक्त किये जाने तथा अध्यापक संवर्ग में नियुक्त होने की तिथि से (मध्यप्रदेश पंचायत/नगरीय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 के नियम-5 (2)(ख) के अनुसार) आगामी वेतनवृद्धि एक वर्ष पश्चात् देय है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि संविदा शाला शिक्षक के पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तथा छानबीन समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर ही अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति तिथि से न्यूनतम वेतनमान दिये जाने के निर्देश है।

4/ मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 21.02.2013 के द्वारा सहायक अध्यापक (रूपये 4500—25000 + संवर्ग वेतन 1250) अध्यापक (रूपये 4500—25000 + संवर्ग वेतन 1650) एवं वरिष्ठ अध्यापक (रूपये 4500—25000 + संवर्ग वेतन 1900), दिनांक 01.04.2013 से संशोधित वेतनमान दिये गये हैं। दिनांक 01.04.13 को प्राप्त वेतन में 1.62 गुणांक से संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण करने तथा आदेश की कण्डिका-6 अनुसार वेतन एवं संवर्ग वेतन के योग का 03 प्रतिशत आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 01.10.2013 से दिये जाने के निर्देश हैं।

5/ मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 25.02.16 एवं 07.07.17 के द्वारा अध्यापक संवर्ग को दिनांक 01.01.16 से छटवाँ संशोधित वेतनमान सहायक अध्यापक (रूपये 5200—20200+ ग्रेड—पे 2400), अध्यापक (रूपये 9300—34800 + ग्रेड—पे 3200) एवं वरिष्ठ अध्यापक (रूपये 9300—34800 + ग्रेड—पे 3600) दिये जाने के निर्देश हैं। आदेश दिनांक 07.07.17 की कण्डिका-2 (अ) में उल्लेखित परिशिष्ट—एक, दो एवं तीन की तालिका के कॉलम-1 में अध्यापक संवर्ग में की गई सेवावधि (पूर्ण वर्षों) को गणना में लिया जायेगा। आगामी वेतनवृद्धि 01.07.2016 से दिये जाने के निर्देश हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि आदेश दिनांक 07.07.17 में संलग्न तालिका (परिशिष्ट—एक, दो एवं तीन) के अनुसार अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा की गणना (वर्षों में) में उल्लेखित वेतन बैंड में विद्यमान वेतन एवं संवर्ग वेतन का योग के अनुसार वेतन निर्धारण किये जाने के निर्देश हैं।

6/ मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 22.08.17 के द्वारा अध्यापक संवर्ग के लिए पदोन्नति एवं क्रमोन्नति के संबंध में वेतन निर्धारण हेतु परिशिष्ट—क, ख एवं ग तथा परिपत्र दिनांक 29.12.17 के द्वारा अध्यापक संवर्ग के 6वें वेतनमान में वेतन निर्धारण प्रक्रिया के संबंध में विभाग के आदेश दिनांक 07.07.17 एवं 22.08.17 के अनुक्रम में विभिन्न श्रेणी के वेतन निर्धारण के उदाहरण परिशिष्ट—1 से परिशिष्ट—4 जारी किये गये हैं। इसी प्रकार के नियम/आदेश/परिपत्र मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग से भी जारी किये गये हैं।

7/ विभाग के पत्र क्र. एफ 1-55/09/20-1, दिनांक 13.10.2009 के परिपत्र की कण्डिका-2 के अनुसार दिनांक 16.06.2006 के पूर्व परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने वाले अध्यापकों को दिनांक 16.06.2006 से एवं इस दिनांक के उपरान्त ऑपरेशन कराने वाले अध्यापकों को परिवार नियोजन कराने की दिनांक से अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ शासन निर्देशानुसार प्राप्त होगा।

8/ वर्ष 2008/वर्ष 2011 क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय गुरुजी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से तथा निर्देशानुसार वांछित शैक्षणिक अर्हताधारी गुरुजी एवं अनुदेशक/पर्यवेक्षकों को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर नियुक्ति दिये जाने के निर्देश हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम एवं द्वितीय गुरुजी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से 03 वर्ष की सेवा पूर्ण होने तथा छानबीन समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 से सहायक अध्यापक के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किये जाने के निर्देश हैं।

9/ मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्र. एफ 44-6/2014/20-2, दिनांक 10.02.14 के द्वारा ऐसे गुरुजी एवं पर्यवेक्षक जो वर्तमान में मध्यप्रदेश शिक्षा गारण्टी स्कीम के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, वांछित शैक्षणिक अर्हताधारी को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर परीक्षा लिये बिना 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर नियुक्ति दिये जाने के निर्देश हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे गुरुजी एवं पर्यवेक्षक जो संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर दिनांक 10.02.14 से नियुक्त किये गये हैं तथा दिनांक 10.02.14 से 03 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तथा छानबीन समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 से सहायक अध्यापक के पद पर दिनांक 10.02.17 से वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किये जाने के निर्देश हैं। गुरुजी एवं पर्यवेक्षक से संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर नियुक्ति के संबंध में मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 27.09.18 द्वारा स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है।

10/ जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिले में नियुक्त समस्त प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक जो कि अध्यापक संघर्ग में कार्यरत थे तथा जिनकी नियुक्ति नवीन संघर्ग में हुई/नहीं हुई है, उन कर्मचारियों (नवीन शैक्षणिक संघर्ग) का 6वें वेतनमान में वेतन निर्धारण कर उनकी सेवापुस्तिका जिला पंचायत में पदस्थ वरिष्ठ लेखा अधिकारी अथवा लेखाधिकारी के समक्ष दिनांक 08.05.19 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कराये। जिला पंचायत के लेखाधिकारी को वेतन निर्धारण के अनुमोदन के कार्य में सहयोग हेतु उनके चाहे अनुसार आवश्यक संख्या में लेखापाल उपलब्ध कराये। शतप्रतिशत सेवापुस्तिका जिला पंचायत के लेखाधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई है, इस आशय का प्रमाण-पत्र संचालनालय को समय-सीमा में भेजना सुनिश्चित करें।

11/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला पंचायत के लेखा अधिकारी को उपलब्ध कराई सेवापुस्तिकाएँ तथा वेतन निर्धारण का अनुमोदन उपरान्त प्राप्त सेवापुस्तिकाएँ की संख्यात्मक जानकारी गूगल ड्राइव पर निर्धारित संलग्न प्रपत्र में समय-समय पर प्रविष्टियों जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी। ताकि समय-सीमा में किये गये कार्य की प्रगति की जानकारी निरन्तर प्राप्त हो सके।

12/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं नगरीय प्रशासन के आदेश दिनांक 07.07.17 की कण्डका-9 के अनुसार जिला पंचायत के लेखाधिकारियों को वेतन निर्धारण के अनुमोदन के संबंध में दिनांक 26.04.19 को विमानीय वीडियो कान्फ्रेंस में हुई चर्चानुसार अध्यापक संघर्ग के वेतन निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा जारी

उपरलिखित नियम/आदेश/परिपत्र की प्रतियों संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त समस्त सेवापुस्तिकाओं में वेतन निर्धारण का अनुमोदन दिनांक 15.05.19 तक पूर्ण कर जिला शिक्षा अधिकारी को सेवापुस्तिकाएँ वापस की जावे। जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक 20.05.19 तक वेतन निर्धारण की कार्रवाई पूर्ण की जानकारी से अवगत करायें।

वेतन निर्धारण/परीक्षण करते समय पूर्व में समय-समय पर जारी मूलभूत शासनादेशों को संदर्भित किया जाए। यदि वेतन निर्धारण/परीक्षण में किसी प्रकार का कोई विचारणीय बिन्दु उद्भूत होता है तो इस कार्यालय से परामर्श लिया जा सकता है। इस पत्र के साथ आपकी सुविधा के लिए पूर्व में जारी शासनादेशों को गूगल ड्राइव/एज्यूकेशन पोर्टल की लिंक पर उपलब्ध कराया गया है।

संलग्न :- गूगल ड्राइव प्रफत्र।

Link → <http://tiny.cc/5lx05y>

26/5/19  
(जयश्री कियावत)

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 01-05-2019

पृष्ठांक./वि.से./अध्या.प्रको./ए/20/वे.नि.अ./2019/172

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, रक्तूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल।
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
8. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, मध्यप्रदेश।
9. समरत रामगांगीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार अपने रामगांगीय जिलों के प्रकरणों की मॉनिटरिंग कर संबंधित व्यक्तियों के निर्देशानुसार वेतन निर्धारण का अनुमोदन वी कार्रवाई को समय-सीमा में पूर्ण कराकर वांछित प्रमाण-पत्र की प्रतियों संचालनालय को प्रेषित की जाना सुनिश्चित की जाये।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर उक्तानुसार कार्रवाई सम्पन्न करायें।
11. समस्त वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखा अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उक्तानुसार कार्रवाई समय-सीमा में सुनिश्चित की जाए।
12. समस्त मुख्य नगर पालिका परिषद् अधिकारी/नगर परिषद् मध्यप्रदेश।
13. श्री नीरज सकर्मा, प्रोग्रामर (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) स्थानीय की ओर निर्देशानुसार गूगल ड्राइव में प्रविष्टि कराया जाना सुनिश्चित करें।

26/5/19  
आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश